कार्यालय उपयोग हेतु

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

वार्षिक

विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन

1992-93

NIEPA DC

D08200

निदेशालय
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

राजकीय मुद्रणालय, बीकानेर

LIBRARY & [illegible]
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-8207
Date........23-9-94

:: प्राक्कथन ::

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है । प्रस्तुत विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 विभागीय प्रकाशन की श्रृंखलाबद्ध कड़ी है । इस प्रकाशन में विभाग के त्रिस्तरीय प्रशासनिक स्वरूप { निदेशालय, मण्डल एवं जिला स्तर } तथा शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक में की गई प्रगति एवं उपलब्धियों को बतलाया गया है । राज्य में बालिका शिक्षा की स्थिति अपेक्षाकृत रूप से अच्छी नहीं होने के कारण उनमें शिक्षा के प्रसार के लिए किये जा रहे विशेष प्रयासों व प्रोत्साहन योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है ।

राजस्थान में साधन सीमित होने के कारण केन्द्र सरकार की सहायता से राज्य में शिक्षा के विकास हेतु प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षा के अन्य क्षेत्र में विभिन्न योजनाऐं चलाई जा रही है । ऐसी समस्त योजनाओं की जानकारी भी इस प्रकाशन में दर्शाई गई है ।

मेरी मान्यता है कि यह प्रकाशन शिक्षा शास्त्रीयों, शिक्षा योजनाकारों, शोधकर्ताओं, प्रशासकों एवं अन्य सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझावों का स्वागत किया जावेगा ।

{ तपेश पवार }

निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

बीकानेर

दिनांक 15.4.94

प्रकाशन में सहयोगी सांख्यिकी अधिकारी/कर्मचारी

:-

निर्देशन :

श्री जे0के0सेठिया : उप निदेशक सांख्यिकी

श्रीमती मंजुलता बांधोकर : सांख्यिकी अधिकारी

प्रारूप लेखन एवं सज्जा :

(1) श्री गौरीशंकर व्यास : सांख्यिकी सहायक

(2) श्री सत्य प्रकाश शुक्ला : " "

(3) श्री भैरू सिंह : " "

(4) श्री नन्द लाल आचार्य : " "

(5) श्री जगदीश पाण्डे : " "

संघानन :

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : संगणक

टंकणकर्ता :

श्री नरेन्द्र कुमार गौड़ : कनिष्ठ लिपिक

xxxx——xxxxx

अ नु क्र म णि का

कहाँ क्या है	पृष्ठ संख्या
1- सामान्य परिचय	01
2- शिक्षा विभाग का प्रशासनिक स्वरूप	01-03
3- शैक्षिक प्रगति	03-08
4- पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक	04-05
उच्च प्राथमिक	05-07
माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक	07-08
4- बालिका शिक्षा	08-10
5- केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ	10-16
(क) प्राथमिक शिक्षा	
विकलांग शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना	10-11
सीमांत क्षेत्रीय शैक्षिक विकास कार्यक्रम, पर्यावरण, अनुस्थापना योजना,	12-13
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, छब्बू प्रोजेक्ट, जनसंख्या शिक्षा योजना	
शिक्षा कर्मी परियोजना, लोकजुम्बिश परियोजना	
(ख) माध्यमिक शिक्षा	
ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के प्रतिभावान विद्यार्थियों हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	13
संस्कृत छात्रवृत्ति, व्यावसायिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षण सुधार योजना, कम्प्यूटर शिक्षा/क्लास प्रोजेक्ट	14-15
अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को प्रतिभा विकास योजना, आई. ए. एस. ई. /सीटीई, अंग्रेजी शिक्षा उन्नयन योजना	15
(ग) शिक्षा क्षेत्र की अन्य योजनाएँ	
जवाहर नवोदय विद्यालय, प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम	15-16
प्रधानाध्यापक वाक्पीठ, एम. एस. सी. करने हेतु अनुमति	17-18
6- भामाशाह योजना	18
7- शारीरिक शिक्षा	18-20
8- आयोजना एवं प्रशासन	
योजना एवं लेखा, पेंशन/स्थिरीकरण	20-21
न्यायिक प्रकरण, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण कोष, हितकारी निधि	22-23
छात्रवृत्तियाँ, शिक्षक पुरस्कार, शैक्षिक एवं प्रशासनिक सम्मेलन	24-25
पुस्तकालय (समाज शिक्षा), शिक्षक प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षक शिक्षा	26-28
विभागीय परीक्षाएँ, विभागीय प्रकाशन, भाषाई अल्पसंख्यक, अनुदान प्राप्त संस्थाएँ, विद्यालय पंचांग	28-30
9- शिक्षक संघों की भूमिका	30
10- विशिष्ठ शैक्षिक अभिकरण	30
11- शिक्षा की प्रगति से सम्बन्धित तालिकाएँ	31-32

गौड़/

(10) वरिष्ठ सम्पादक (जिला शिक्षा अधिकारी)
(11) जिला शिक्षा अधिकारी (अल्प भाषाई)
(12) सहायक निदेशक 3
(13) स्टॉफ ऑफिसर
(14) लेखाधिकारी - 3
(15) वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी -5
(16) शोध अधिकारी
(17) सम्पादक विभागीय प्रकाशन
(18) अनुसंधान अधिकारी
(19) उप जि. शि. अ. — 10
(20) सांख्यिकी अधिकारी
(21) वरिष्ठ प्रकाशन सहायक
(22) शिक्षा प्रसार अधिकारी - 2
(23) व्याख्याता - 4
(24) प्रशिक्षक - 4
(25) मूल्यांकन अधिकारी -
(26) सहायक लेखाधिकारी -13
(27) मुख्य निजी सहायक
(28) प्रशासनिक अधिकारी

(II) निदेशालय समाज शिक्षा

(1) उप निदेशक
(2) सहायक निदेशक
(3) व्याख्याता
(4) शिक्षा प्रसार अधिकारी
(5) सहायक शैक्षिक अधिकारी (व्याख्याता)

(III) पंजियक शिक्षा विभागीय परीक्षाऐं

(1) पंजियक
(2) उप पंजीयक

(ख) मण्डल स्तर -

शिक्षा विभाग के कार्य एवं प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से 6 मण्डल कार्यालयों में विभक्त किया गया है, प्रत्येक मण्डल में 2 कार्यालय है, जिसके अधिनस्थ पुरूष एवं महिला शिक्षा संस्थाऐं है,

....3....

क्र.स.	मण्डल का नाम		अधिनस्थ जिले
1.	उप निदेशक (पुरूष / महिला)	जयपुर	जयपुर , अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सीकर , दौसा
2.	" " "	अजमेर	अजमेर, भीलवाड़ा, नगौर, टौंक
3.	" " "	चूरू	बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर एवं झुन्झुनू
4.	" " "	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर
5.	" " "	कोटा	कोटा, झालावाड़, बुन्दी, सवाईमाधोपुर, बांरा
6.	" " "	उदयपुर	उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, राजसमंद

बीकानेर,- चूरू मण्डल का मुख्यालय चूरू में स्थित है ।

(ग) जिला स्तरीय प्रशासन :-

वर्तमान में प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के तीन पद है । केवल जयपुर जिले में चार पद है । प्रत्येक जिला स्तर पर निम्नलिखित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत है:-

1- जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाऐं)
2- जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थाऐं)
3- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)

जिला शिक्षा अधिकारी का मुख्य कार्य जिले की समस्त शिक्षण संस्थाओं से सम्पर्क बनाये रखना, उनसे सूचनाऐं एकत्र कर आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार/निदेशालय/क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराना है । साथ ही शैक्षिक संस्थाओं पर प्रशासनिक नियन्त्रण बनाये रखने का दायित्व भी जिला शिक्षा अधिकारी का ही है । इनके कार्य की मदद के लिए जिला मुख्यलाय पर एक-एक अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी भी कार्यरत है । जिनका पदस्थापन जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) के कार्यालयों पर है । प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्यालय पर दो-दो उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत है ।

(3) शैक्षणिक प्रगति :-

राज्य के शिक्षा विभाग का प्रथम व सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व शिक्षा के उपलब्ध ढांचे को जन-उन्मुख बनाना व शिक्षा सुविधाओं का सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाना है ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान राज्य में शिक्षा के विकास के लिए अनवरत प्रयास किये जा रहे है । विभिन्न पंचवर्षीय योजना के माध्यम से शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में प्रगति हुई है एवं साक्षरता में काफी वृद्धी हुई है । विद्यालयों तथा अनौपचारिक शिक्षा

......./....

केन्द्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी, नामांकन वृध्दि, विद्यालयों में भवन व पुस्तकालय सुविधा खेल के मैदान व शारीरिक शिक्षा के उपकरणों में अभिवृध्दि, नवीन पदों के सृजन आदि से संख्यात्मक दृष्टि से शिक्षा का द्रुत विकास हुआ है लेकिन आवश्यकता है गुणात्मक विकास की । बालक शिक्षा का विकास निःसन्देह हुआ है लेकिन इसकी तुलना में बालिका शिक्षा का विकास कम हुआ है इसको गति प्रदान करने लिए विशेष प्रयास जारी है । पिछले दस वर्षों में शैक्षिक जगत में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए है । राज्य भी इस सम्बन्ध में राष्ट्र के साथ कमद से कदम बढ़ा कर चल रहा है । शिक्षा जगत के हर क्षेत्र में आधुनिक टेक्निक को अपनाया जा रहा है तथा सम्पूर्ण साक्षरता जैसे कार्य-क्रम भी चलाये जा रहे है । यही कारण है कि राज्य में साक्षरता दर जो 1950 में 8.02 प्रतिशत तथा 1981 में 30.09 प्रतिशत थी जो 1991 में बढ़कर 38.55 हो गई है ।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की वर्ष 1992-93 की मुख्य-मुख्य कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है ।

§ I § पूर्व प्राथमिक :-

वर्ष 92-93 में राज्य में कुल 30 पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है जिसमें 14 छात्र एवं 16 छात्रा स्तर के है । इन विद्यालयों में कुल 6884 विद्यार्थी अध्ययनरत है, इनमें 2602 छात्र तथा 4282 छात्राऐं है । इन विद्यालयों में 215 अध्यापक कार्यरत है । इसमें 18 पुरूष तथा 197 महिलाऐं है । ग्रामीण क्षेत्र में कुल 5 पूर्व प्राथमिक विद्यालय है ।

§ II § प्राथमिक -

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत 6-11 तथा 11-14 आयु वर्ग के समस्त बालक बालिकाओं का 10 वर्ष की अवधि में शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान रखा गया था । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मुख्यतया प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया । सन 2000 तक सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सीडा के सहयोग से 800 करोड़ रूपये की एक महती योजना लोकजुम्बिश राज्य में वर्ष 1992-93 से क्रियान्वित की जा रही है ।

वर्ष 1950-51 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 4336 थी जिसमें 8733 अध्यापक कार्यरत थे । पिछले 42 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के भरसक प्रयास किये गये । शिक्षा सार्वजनिककरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य में वर्ष 92-93 के अन्त में प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या बढ़ कर 31867 हो गई । वर्ष 1992-93 में औपचारिक शिक्षा के 6-11 आयुवर्ग का नामांकन लक्ष्य 55.28 लाख, अनुसूचित जाति का नामांकन लक्ष्य 8.89 लाख व अनुसूचित जनजाति का नामांकन लक्ष्य 5.66 लाख रखा गया था । कुल 51.87 लाख नामांकन की उपलब्धि प्राप्त हुई है जिसमें 34.21 लाख छात्र एवं 17.66 लाख छात्राऐं है । अनुसूचित जाति का नामांकन लक्ष्य प्राप्ति 8.30 लाख है

जिसमें 5.80 लाख छात्र एवं 2.50 लाख छात्राओं का है । अनुसूचित जनजाति नामांकन लक्ष्य प्राप्ति 5.53 लाख है जिसमें 3.98 लाख छात्र एवं 1.55 लाख छात्राओं का है । वर्ष 1992-93 के अन्त में कुल 31867 प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है जिसमें 29939 छात्र एवं 1928 छात्राओं के विद्यालय है । इन विद्यालयों में कुल अध्यापक 85947 कार्यरत है जिनमें 62902 पुरूष एवं 23045 महिलाऐं है । वर्ष 92-93 में ग्रामीण क्षेत्र में 1000 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान था, जिसके विपरीत निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा 850 नवीन प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में खोलने की स्वीकृती जारी की जा चुकी है । संस्कृत विभाग द्वारा 47 प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृती प्रसारित की गई है । वर्ष 92-93 में शहरी क्षेत्र में 100 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान था जिसके विपरीत राज्य सरकार 44 नवीन प्राथमिक विद्यालय (28 छात्र व 16 छात्रा) खोलने की स्वीकृती प्रदान की । जिसका मदवार विवरण निम्न है :-

क्षेत्र	छात्र	छात्रा	योग
सामान्य क्षेत्र	27	15	42
जनजाति क्षेत्र	1	1	2
सिंचित क्षेत्र	-	-	-
योग	28	16	44

उक्त प्रत्येक विद्यालय को वर्ष 92-93 में दो तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के पद आंवटित किये जा चुके है ।

(III) उच्च प्राथमिक :-

वर्ष 92-93 के अन्त में कुल 9805 उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत थे जिनमें 8578 बालकों के एवं 1227 बालिकाओं के थे । इन विद्यालयों में कुल 78565 अध्यापक कार्यरत थे जिनमें 57712 पुरूष अध्यापक व 20853 महिला अध्यापिकायें थी ।

11-14 आयुवर्ग के समस्त जाति के बच्चों के लिए वर्ष 1992-93 में नामांकन लक्ष्य 17.47 लाख रखा गया है जिसमें 13.04 लाख छात्र एवं 4.43 लाख छात्राओं का था । अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन लक्ष्य 2.41 लाख था

जिसमें 2.05 लाख छात्र एवं 0.36 लाख छात्राओं का था । इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के छात्रों का नामांकन लक्ष्य वर्ष 92-93 का 1.66 लाख था जिसमें 1.39 लाख छात्र एवं 0.27 लाख छात्राओं का था । समस्त जाति के बच्चों का नामांकन उपलब्धि 14.78 लाख प्राप्त की गई जिसमें 11.17 लाख छात्र एवं 3.61 लाख छात्राओं की है । अनुसूचित जाति की कुल 1.94 लाख की नामांकन उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है जिसमें 1.64 लाख छात्र एवं 0.30 लाख छात्राओं की है । वर्ष 92-93 में अनुसूचित जनजाति के छात्रों की कुल 1.16 लाख नामांकन उपलब्धि प्राप्त की गई । जिसमें 1.00 लाख छात्र एवं 0.16 लाख छात्राओं की है ।

वर्ष 92-93 में 100 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का प्रावधान था जिसके विपरीत 96 प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया । जिनका मदवार विवरण निम्नप्रकार है :-

क्षेत्र	छात्र संस्था	छात्रा संस्था	योग
सामान्य	66	18	84
जनजाति	5	2	7
सिंचित	5	-	5
सीमान्त	-	-	-
योग	76	20	96

उपरोक्त क्रमोन्नत विद्यालयों का द्वितीय श्रेणी अध्यापक का एक-एक पद प्रत्येक विद्यालय को आवंटित किया गया । इसी प्रकार उक्त विद्यालयों का पदों के साथ-साथ फर्नीचर एवं साज-सामान देने हेतु बजट आवंटित किया गया ।
वर्ष 92-93 में आयोजना बजट में जिला जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर तथा राज्य के जनजाति क्षेत्र में कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत छात्रों को 75 % अधिक उपस्थित होने पर प्रति माह 10 रूपये की दर से कुल 60 लाख रूपयों का प्रावधान किया गया था । (28 लाख सामान्य क्षेत्र एवं 32 लाख जनजाति क्षेत्र) इस राशि का आवंटन सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों को माह जून 92 में किया जा चुका है जिसमें 28 हजार विद्यार्थी सामान्य क्षेत्र एवं 32 हजार विद्यार्थी जनजाति क्षेत्र में लाभान्वित हुए ।

वर्ष 92-93 में आयोजना बजट में अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र के छात्र व छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु पाठ्यपुस्तके एवं वर्दी देने हेतु 75 लाख रुपये का प्रावधान रखा था । इस योजना से बाड़मेर जालौर जैसलमेर , नागौर एवं समस्त जनजाति क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र 30 रुपये पाठ्य पुस्तकों के लिए एवं 60 रु. वर्दी हेतु दिया जाना था । जिसका आवंटन सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों को माह जून 1992 में किया जा चुका है । इस योजना के तहत सामान्य क्षेत्र के 22 हजार एवं जन जाति क्षेत्र के 62054 छात्र/छात्रा लाभान्वित होंगे ।

(IV) माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक :-

वर्ष 92-93 के अन्त तक कुल 3171 माध्यमिक विद्यालय कार्यरत थे जिनमें 2725 छात्र एवं 446 छात्राओं के थे । उक्त विद्यालयों कुल अध्यापक 39368 थे जिनमें 30465 पुरुष एवं 9403 महिलाऐं थीं ।

वर्ष 92-93 में कुल 1089 सीनियर माध्यमिक विद्यालय कार्यरत थे जिनमें 889 छात्र एवं 200 छात्राओं के थे । इन विद्यालयों में कुल 33664 अध्यापक कार्यरत थे जिनमें 24281 पुरुष एवं 9383 महिलाऐं थी ।

माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 92-93 में स्तरानुसार (कक्षा 9 से 12) कुल नामांकन 925685 है जिनमें 723744 छात्र एवं 201941 छात्राऐं है । अनुसूचित का कुल स्तरानुसार नामांकन 102061 है , जिनमें 92533 छात्र एवं 9528 छात्राऐं है । अनुसूचित जनजाति का कुल स्तरानुसार नामांकन 67527 है , जिनमें 61432 छात्र एवं 6095 छात्राऐं है ।

वर्ष 92-93 में 17 छात्र व 9 छात्रा विद्यालयों को माध्यमिक से सीनियर माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया । 58 छात्र व 16 छात्रा विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत किया गया । 106 छात्र व 8 छात्रा गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया । 29 छात्र व 2 छात्रा माध्यमिक विद्यालयों (गैर सरकारी) को सीनियर माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया । 9 गैर सरकारी सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में विषय/वर्ग प्रारम्भ करने को स्वीकृति दी गई ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज0 अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 92 - 93 में माध्यमिक स्तर पर 78 छात्राओं को 600 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से 46800 रुपये एवं सीनियर उच्च माध्यमिक स्तर पर 1000 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से 226 छात्रों को 226000 रुपये की पुरस्कार राशि

का आंवटन समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को किया गया । इस प्रकार सत्र 92-93 में कुल राशि 272800 रुपये का आवंटन किया गया ।

(4) बालिका शिक्षा

शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु वर्षों से प्रयास हो रहे है लेकिन वांछित सफलता नहीं मिल पारही है । सन् 1951 में राजस्थान में केवल 3 प्रतिशत महिलाऐं ही साक्षर थी जिसका प्रतिशत 1991 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 20.44 हो गया है । वैसे यह अपने आप में लगभग 7 गुनी प्रगति है पर इससे हमें सन्तुष्टी नहीं हो सकती ।

राजस्थान में 30 सितम्बर 92 को बालिकाओं के 16 पूर्व प्राथमिक विद्यालय, 1928 प्राथमिक विद्यालय, 1227 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 446 माध्यमिक विद्यालय तथा 200 सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय है । इन 3817 बालिका विद्यालयों के अतिरिक्त बालिकाओं के लिए 6000 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र भी स्वीकृत है, जिनमेंसे 5611 केन्द्र उक्त सत्र में चल रहे है ।

राज्य में कुल 62881 महिला अध्यापक कार्यरत है । इनमें विद्यालयवार महिला अध्यापक संख्या इस प्रकार है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में 197, प्राथमिक विद्यालय में 23045, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 20853, माध्यमिक विद्यालय में 9403, तथा सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9383 महिला अध्यापक कार्यरत है ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद निरन्तर विद्यालयों की संख्या तथा अध्यापिका की संख्या में पर्याप्त वृध्दि हुई है, लेकिन उसके अनुपात में बालिकाओं के नामांकन में वृध्दि नहीं हो पारही है । सन् 1981 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता प्रतिशत 13.99 थी (शहरों में 34.46 प्रतिशत तथा गांवों में 5.06 प्रतिशत) । 1991 की जनगणना के आंकड़े बताते है कि राजस्थान राज्य में सात वर्ष एवं उससे अधिक आयु की जनसंख्या में महिला शिक्षा का प्रतिशत 20.44 है यानि आज भी हर पांच में से एक महिला ही साक्षर है ।

राज्य में 6-11, 11-14 एवं 14-17 आयु वर्ग की विद्यालय जाने योग्य बालिकाओं की वर्ष 1992-93 की अनुमानित जनसंख्या से वास्तविक नामांकन का प्रतिशत क्रमशः 61.30, 28.59 तथा 10.24 है । बालिकाओं में कक्षा 1 से 5 स्तर पर ड्रोप आउट का प्रतिशत 62.0 है जो काफि अधिक है । महिला साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार बालिका शिक्षा पर पूरा जोर दे रही है ।

बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा की योजना ही प्रारम्भ की गई है ।

(अ) सत्र 92-93 में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु निम्न कार्यक्रम चलाये गये :-

(I) जून 1992 को राज्य स्तरीय प्रशासनिक एवं शैक्षिक सम्मेलन में लिये गये निर्णय की पालना में चिकित्सा विभाग के सहयोग से बालिकाओं का प्राथमिक शालाओं में नामांकन बढ़ाने हेतु दो अभियान अगस्त 92 एवं नवम्बर 92 में चलाये गये ।

(II) प्रतिभाशाली अनुसूचित जाति/जनजाति की कक्षा - 10 की ग्रामीण बालिकाओं के शैक्षिक अभिवृध्दि छात्रवृति योजना अन्तर्गत प्रत्येक जिले से 10 चयनित छात्राओं को 200/- रू. प्रतिमाह की दर से 10 माह की छात्रवृति 25 जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) को ; कुल 237 छात्राओं के लिए 474000/- रू. की स्वीकृति दी गई ।

(III) ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय में न्यून-तम 3 अध्यापक पद सृजित होना जिसमें 2 महिलाऐं कार्यरत हों ताकि बालिका शिक्षा प्रोत्साहित हो सके ।

(IV) एस.टी.सी. में अध्ययनरत विधवा एवं तलाक शुदा महिलाओं को दो सौ रूपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृती उपलब्ध कराई । 22 विधवा एवं 22 तलाक शुदा छात्राओं को लाभान्वित किया गया ।

(V) वर्ष 92-93 में आयोजना बजट में अनुसूचित जाति तथा अनु जनजाति क्षेत्र की छात्राओं का प्रोत्साहन हेतु पाठ्यपुस्तकें एवं वर्दी देने के लिए प्रति छात्रा 30 रूपये पाठ्यपुस्तकें हेतु एवं 60 वर्दी हेतु स्वीकृत किये गये ।

(VI) बालिकाओं को शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान प्राप्त बालिका संस्थाओं को अप्रेल 92 से स्वीकृत अनुदान प्रतिशत राशि से 10 प्रतिशत अधिक अनुदान स्वीकृत किया गया ।

(ब) <u>बालिका विद्यालय क्रमोन्नत :-</u>

सत्र 92-93 में 188 नये बालिका प्राथमिक विद्यालय खोले गये । 20 बालिका प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में, 16 छात्रा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में, 8 गैर सरकारी बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक में, 9 छात्रा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एवं 2 छात्रा गैरसरकारी माध्यमिक विद्यालय को

सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया ।

(स) बालिका शिक्षा हेतु प्रस्तावित योजना 92-93

राजस्थान में बालिका शिक्षा की वस्तुस्थिति ज्ञात करने उस की व्यूह रचना तैयार करने हेतु " राजस्थान में बालिका शिक्षा " का सार्वजनिक करण अवरोध एवं उपचारी एवं नीति नामक राज्य स्तरीय शोध प्रायोजना पर कार्य चल रहा है ।

(5) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

(क) प्राथमिक शिक्षा :-

(1) विकलांग शिक्षा :- इस योजना का संचालन एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर द्वारा किया जाता है । यह योजना 16 जिला मुख्यालयों पर 22 विद्यालयों में चल रही है । ये जिले है धौलपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, पाली, डूंगरपुर, चित्तौडगढ़, बांसवाड़ा, जोधपुर बून्दी, टौंक तथा बाड़मेर इसके अतिरिक्त संभागीय मुख्यालयों पर माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में भी पद व प्रावधान उपलब्ध करवाए गये है । विकलांग विद्यार्थियों को पुस्तकें, स्टेशनरी भत्ता, पोशाक भत्ता, परिवहन भत्ता, एस्कोर्ट भत्ता रीडर भत्ता तथा उपकरण भत्ता आदि के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है ।

वर्ष 1992-93 का प्रावधान 82.01 लाख था इसमेंसे 39.93 लाख व्यय हुआ उक्त योजना के अन्तर्गत 1400 विकलांग विद्यार्थी लाभान्वित हुए ।

(11) अनौपचारिक शिक्षा :- प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिककरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय अवधि, प्रवेश उपस्थिति के बन्धनों से मुक्त अनौपचारिक शिक्षा योजना प्रारम्भ की गयी । राज्य में 1975 में 230 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों से प्रारम्भ हुए इस कार्यक्रम का विस्तार 1980-81 के पश्चात किया गया । वर्ष 92-93 के अन्तर्गत राज्य में कुल 11050 केन्द्र स्वीकृत थे । इनमेंसे 10213 केन्द्र कार्यरत थे । इन केन्द्रों में 3.22 लाख बालक बलिकाएं नामांकित थे ।

केन्द्र स्थिति	स्वीकृत	उपलब्ध
बालक केन्द्र	4400	3963
बालिका केन्द्र	6000	5611
स्वयं सेवी संस्थाएँ	650	644
योग	11050	10218

नामांकन उपलब्धि (000 में)

समस्त जाति	लक्ष्य	उपलब्धि
बालक	151.6	130.9
बालिका	187.7	190.3
योग	339.3	321.2

अनुसूचित जाति		
बालक	22.3	29.5
बालिका	36.1	41.1
योग	58.4	70.6

अनुसूचित जनजाति		
बालक	19.9	29.7
बालिका	25.6	36.5
योग	45.5	66.2

बालकों हेतु अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु 50-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है । वर्ष 1992-93 का प्रावधान 190.83 लाख था । इस राशि में से उक्त अवधि में 117.39 लाख रुपये व्यय किए गए ।

बालिकाओं का अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदत है । 196.56 लाख को प्रावधित राशि के विरुद्ध 54.72 लाख व्यय हुआ है

राज्य योजना में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम पर 119.19 लाख रुपये का व्यय उक्त अवधि में हुआ है ।

(111) ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना:- प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में प्रारंभ की गई । इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापक, कक्षाकक्ष, शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य था । इस कार्यक्रम के अंतर्गत 237 पंचायत समितियों तथा शहरी क्षेत्र के कुल 27014 विद्यालयों को लिया गया था । इस योजना के तहत 14994 तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के पद सृजित किये जाने थे इन मेंसे 5178 पद सृजित हुऐ । शेष पद गैर आयोजना मद में हस्तांतरित किये गये । इस योजना के अन्तर्गत 518.98 लाख की राशि आलोच्य वर्ष में व्यय की गई है ।

....

(IV) सीमान्त क्षेत्रीय शैक्षिक विकास कार्यक्रम :- सीमान्त क्षेत्रीय चार जिले जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर की चयनित पंचायत समितियों में यह योजना चलाई जा रही है । इस योजना के तहत विद्यालय भवन निर्माण, अतिरिक्त अध्यापक, छात्रावास सुविधाऐं तथा न्यूनतम आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाती है । इस वर्ष इस योजना में 267.78 लाख की राशि व्यय की गई ।

(V) पर्यावरण अनुस्थापना योजना :- राजस्थान में केन्द्रीय सहायता से पर्यावरण अनुस्थापना योजना अजमेर व जयपुर जिलों में चलाई जा रही है । इस योजना के तहत वर्तमान वर्ष में 5.75 लाख की राशि व्यय हुई है ।

(VI) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान:- शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता की उपर्युक्त योजना शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को क्रमोन्नत एवं आधुनिक बनाये जाने तथा सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधाऐं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1987-88 में प्रारम्भ की गई । तीन विभिन्न चरणों में 27 जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई । वर्ष 1992-93 में इस योजना के तहत 810.16 लाख राशि व्यय की गई । राज्य योजना के तहत प्रशिक्षण शिविरों के यात्रा व्यय के रूप में व्यय 4.00 लाख रहा ।

(VII) छबड़ा प्रोजेक्ट :- यूनीसेफ द्वारा शत प्रतिशत सहायता वाली इस योजना की क्रियान्विति राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा की जाती है । योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग बालकों को सामान्य बालकों के समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना है । यह योजना बांरा जिले की छबड़ा पंचायत समिति के 138 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में चलाई जा रही है । इस योजना के तहत विकलांग बालकों को पुस्तकें, स्टेशनरी, पोशाक, परिवहन, रीडर उपकरण आदि हेतु भत्ते दिये जाते हैं। वर्तमान वर्ष में इस योजना पर 10.43 लाख राशि व्यय की गई ।

(VIII) जनसंख्या शिक्षा योजना:- राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य छात्रों में जनसंख्या संबंधी जागरूकता लाना है। इस योजना में वर्ष 1992-93 में 2.52 लाख राशि व्यय की गई ।

(IX) शिक्षा कर्मी परियोजना:- राज्य के अन्तरिक दुर्गम क्षेत्रों में स्थित समस्याग्रस्त प्राथमिक विद्यालयों की समस्या के निवारण तथा ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा कर्मी योजना आरंभ की गई है । इस परियोजना के अन्तर्गत दिवस पाठशालाऐं, प्रहर पाठशालाऐं,

आंगन पाठशालाऐं आदि चलाई जा रही है । इसके बालिका शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे है । इस हेतु महिला शिक्षा कर्मी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये ।

वर्तमान में राजस्थान के 22 जिलों की 51 पंचायत समितियों की 60 ब्लोकों /ईकाईयों में शिक्षा कर्मी योजना संचालित है । इनके अन्तर्गत 706 दिवस प्राथमिक शालाऐं, 1449 प्रहर पाठशालाऐं संचालित है । वर्ष 92-93 में 68204 बालक / बालिकाऐं अध्ययनरत है । 8790 अनुसूचित जाति के, 26729 अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाऐं अध्ययनरत है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 92-93 में 430.66 लाख राशि कुल व्यय हुई जिसमें भारत सरकार मद से 387.59 लाख तथा राज्य सरकार के हिस्से में 43.07 लाख का व्यय हुआ । आलोच्य अवधि में भारत सरकार से 241.45 लाख व राज्य सरकार से 39.77 लाख राशि का अंशदान प्राप्त हुआ ।

{x} लोक जुम्बिश परियोजना :-

सन 2000 तक सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वीडन अन्तरराष्ट्रीय विकास अभिकरण {सीडा} के सहयोग से भारत सरकार ने राजस्थान के लिए यह महत्वकांक्षी योजना प्रारम्भ की है । इस शब्द का अर्थ " जनचेतना या जन-आन्दोलन है " । प्राथमिक शिक्षा की सर्वव्यापी पहुंच , सर्वव्यापी भागीदारी तथा सर्वव्यापी उपलब्धि उपर्युक्त योजना का लक्ष्य है ।

इस योजना हेतु 600 करोड़ रूपये प्रावधित किये गये है । 1:2 :3 के अनुपात में क्रमशः राज्य सरकार केन्द्र सरकार तथा स्वीडिश सरकार द्वारा व्यय किया जाना है । वर्ष 92-93 की अवधि में 25 पंचायत समितियों तथा आठवी पंचवर्षि योजना अवधि में 30 पंचायत समितियों को इस योजना में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है । योजना की क्रियान्विती स्थानीय समुदाय, स्वैच्छिक संगठनों, शिक्षकों एवं जनप्रतिनिधियों के सहायोग से की जायेगी । इस योजना हेतु वर्ष 92-93 में 30.00 लाख राशि स्वीकृत की गई थी ।

{ख} माध्यमिक शिक्षा -

{1} ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के प्रतिभावान विद्यार्थी हेतु राष्ट्रीय छात्रवृति -- इस योजना में माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययन कर रहे प्रतिभावान विद्यार्थियों का जिला स्तर पर परीक्षा आयोजन के पश्चात चयन किया जाता है । वर्ष 92-93 में इस योजना पर 1.04 लाख राशि व्यय की गई ।

(ii) संस्कृत छात्रवृति :- संस्कृत विषय के अध्ययन के प्रति छात्रों का रूझान बढ़ाने हेतु कक्षा 9-12 तक के छात्रों को संस्कृत छात्रवृतियां प्रदान की जाती है। छात्रों का चयन वरियता के आधार पर किया जाता है। वर्ष 92-93 में इस योजना पर 0.70 लाख की राशि व्यय की गई है।

(iii) व्यावसायिक शिक्षा -- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दस जमा दो स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ करने की अभिशंषा की गई थी। इस योजना का प्रबन्धन निम्न स्तरों पर किया जाता है :-निदेशालय, जिला स्तर, विद्यालय स्तर एवं एस.आई.ई.आर.टी. की व्यावसायिक शिक्षा विंग। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम निमार्ण तथा पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। वर्तमान में 147 विद्यालय/संस्थाओं में 433 सेक्शन में 21 पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे है। नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 1993 से कक्षा 9 व 10 में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम चलाने सम्बन्धी परियोजना तैयार की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण व्यवस्था एस.आई.ई.आर.टी.उदयपुर तथा पाठ्यक्रमों के निमार्ण की व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा की जाती है।

वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालयों में 158 प्रयोगशालाओं का निमार्ण हो चुका है। तथा 200 प्रयोगशालाओं का निमार्ण प्रगति पर है। इस वर्ष में व्यावसायिक के अन्तर्गत 5502 छात्र/छात्राऐं शिक्षा प्राप्त कर रहे है।

इस योजना पर वर्तमान वर्ष में 313.02 लाख राशि व्यय की गई है।

(iv) विज्ञान शिक्षण सुधार योजना :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विज्ञान विषय में संबन्धित सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की इस योजना का निमार्ण केन्द्रीय निर्देशों के अनुसार किया गया। यह योजना राज्य के 27 जिलों में तीन चरणों में लागू की गई। योजना के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विज्ञान किट तथा माध्यमिक व सीनियर माध्यमिक विद्यालयों को प्रयोगशाला सामग्री तथा विज्ञान पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रावधान है। साथ ही प्रत्येक जिले में जिला सन्दर्भ केन्द्र की स्थापना तथा विज्ञान एवं गणित के अध्यापकों को प्रशिक्षित कराने का उद्देश्य भी रखा गया। इस योजना के तहत वर्ष 92-93 में 573.45 लाख की राशि व्यय हुई है।

(v) कम्प्यूटर शिक्षा/क्लास प्रोजेक्ट - वर्ष 1984 से राजकीय शालाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ किया गया। यह योजना शैक्षिक प्रोद्योगिकी संस्थान (ई.टी.सैल) अजमेर द्वारा संचालित की जाती है। भारत सरकार द्वारा चयनित 120 विद्यालयों में यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अध्यापकों के

प्रशिक्षण की व्यवस्था तीन तंदर्भ केन्द्रों, क्षेत्रीय शिक्षा महा विद्यालय अजमेर, मालवीय इंजीनियरिंग कालेज जयपुर तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर (गणित एवं विज्ञान प्रभाग) पर की गई है । जिन संस्थाओं में यह योजना चल रही है उन्हें एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली द्वारा अनुदान राशि दी जाती है ।

(VI) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की प्रतिभा विकास योजना :- उच्च शिक्षा की आकांक्षा रखने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को समुचित शिक्षा सुविधाएँ प्रदान करने की दृष्टि से यह योजना प्रारंभ की गई है । राज्य के तीन जिलों में चल रही इस योजना में कक्षा 9 - 12 तक के विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा प्रदानकी जाती है साथ ही आवासीय प्रबंध भी किये जाते है। इस योजना के तहत कक्षा 9 में नवीन छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त कक्षा 10 -12 में छात्रवृत्तियों का नवीनीकरण भी किया जाता है । इस योजना के तहत वर्तमान में 7.10 लाख की राशि व्यय की गई ।

(VII) आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई. :- केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत राजकीय दो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय अजमेर एवं बीकानेर को 88-89 में तथा गैर-राजकीय क्षेत्रों के विद्याभवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर, गांधी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सरदारशहर, (चुरू) को वर्ष 1992-93 में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान में क्रमोन्नत किया गया । इसी प्रकार गैर-राजकीय क्षेत्र के तीन बी.एड.कालेज यथा महेश टी.टी.कालेज जोधपुर वर्ष 89 -90, लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डबोक एवं हरिभाऊ उपा. शि.प्र. महा. हटुंडी, अजमेर को वर्ष 1992 -93 में सी.टी.ई. में क्रमोन्नत किया गया है । इन संस्थाओं में सेवा पूर्व प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस योजना के तहत वर्तमान वर्ष 92 -93 में 22.06 लाख राशि व्यय किये गये ।

(VIII) अंग्रेजी शिक्षा उन्नयन योजना:- राज्य में अंग्रेजी शिक्षण के उन्नयन हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा यूनीसेफ से सहायता की यह योजना चलाई जाती है। वर्ष 92 -93 में कुल व्यय 2.67 लाख राशि रहा ।

(ग) इनके अतिरिक्त शिक्षा क्षेत्र में निम्न योजनाएँ भी चल रही है:-

(1) जवाहर नवोदय विद्यालय:-

नई शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालयसंचालित किये जा रहे है। ये विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत स्वायतशासी संस्था के रूप में कार्य कर रहें है। राजस्थान में 30 जिलों मेंसे 22 जिलों में इन विद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। इन विद्यालयों का नियन्त्रण केन्द्रीय विद्यालय

संगठन (क्षेत्रीय कार्यालय) दुर्गापुरा, जयपुर के द्वारा किया जाता है। इन्ही के द्वारा प्राचार्य व शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। राज्य सरकार द्वारा 30 एकड़ भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने पर नवोदय विद्यालय की स्थापना की जा सकती है। प्रवेश हेतु कक्षा 5 उत्तीर्ण होने पर कक्षा 6 में 80 विद्यार्थियों का चयन योग्यता परीक्षा के मैरीट के आधार पर किया जाता है। 75 प्रतिशत स्थान ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित रखे जाते है।

वर्ष 92-93 में 22 नवोदय विद्यालयों में कुल छात्रों की संख्या 6614 है जिसमें से 5414 छात्र व 1200 छात्राऐं है। अनुसूचित जाति के कुल 1276 विद्यार्थी है जिसमें से 1103 छात्र व 173 छात्राऐं है। अनुसूचित जनजाति के कुल 749 विद्यार्थी है जिसमें से 680 छात्र व 69 छात्राऐं है। इन विद्यालयों में 325 कुल अध्यापक संख्या जिसमें से 241 पुरूष व 84 महिलाऐं कार्यरत है। इन विद्यालयों का समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करती है।

(11) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमः-

15-35 आयु वर्ग के 25 लाख प्रौढ़ों को आठवी पंचवर्षीय योजना में साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया। इस हेतु वर्ष 92-93 में राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत 300 केन्द्र स्वीकृत किये जिनमें से 292 केन्द्र कार्यरत, इन केन्द्रों में 119 केन्द्र महिलाओं के है। इनमें 42 केन्द्र अनुसूचित जाति के भी कार्यरत है। राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत इन केन्द्रों में कुल नामांकन 8877 जिसमें से 5124 पुरूष एवं 3753 महिलाऐं है।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 900 केन्द्र स्वीकृत किये गये तथा ये सभी केन्द्र कार्यरत है। इन केन्द्रों में 499 पुरूष केन्द्र एवं 401 महिला केन्द्र है। इन केन्द्रों में 35887 नामांकन है। जिसमें से 17880 पुरूष एवं 18007 महिलाऐं प्रौढो की है। 319 केन्द्र अनुसूचित जाति के, 18 केन्द्र अनुसूचित जनजाति के प्रौढों के लिये अलग से कार्यरत है।

स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा 911 केन्द्र चलाये जा रहे है जिनमें 636 पुरूष एवं 275 महिला प्रौढ शिक्षा केन्द्र है। इन केन्द्रोमें.50862 कुल नामांकन जिसमें से 31520 पुरूष एवं 19342 महिला है। अनुसूचित जनजाति के लिऐ 94 केन्द्र अलग से चल रहे है।

वर्ष 92-93 में प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम तहत कुल 1260 केन्द्र स्वीकृत किये गये जिनके फलस्वरूप 2103 केन्द्र कार्यरत किये गये। 1308 पुरूष केन्द्र 795 महिला प्रौढ केन्द्र है। इन केन्द्रों में कुल नामांकन 95626 है जिसमें 54524 पुरूष 41102 महिला है।

§ III § प्रधानाध्यापक वाकपीठ:-

शिक्षा के क्षेत्र में चिंतन को प्रोत्साहन देने, शैक्षिक उन्नयन करने व शिक्षा प्रशासन को अधिक युक्ति युक्त बनाने के विशिष्ट प्रयास के रूप में प्रत्येक जिले में प्रधानाध्यापक वाकपीठ कार्यरत है। वाकपीठ का गठन वर्तमान में तीन स्तर पर किया जाता है:-

1. सीनियर माध्यमिक/ माध्यमिक स्तर
2. उच्च प्राथमिक स्तर
3. प्राथमिक स्तर

वर्तमान में अधिकतम दो बार वाकपीठ आयोजित होने का प्रावधान है। सत्र 92 -93 के आरम्भ में प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी वाकपीठ की वार्षिक योजना प्राप्त की गई व उनकी समीक्षा की गई। हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा दिसम्बर 92 में जिला शिक्षा अधिकारियों का एक अभिनवन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रधानाध्यापक वाकपीठ की वर्तमान स्थिति पर विचार कर प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिये गये। सुझावों पर विचार कर मुख्य रूप से निम्न निर्देश जारी किये गये :-

1. सत्र में दो बार जुलाई के अन्त व मई के आरम्भ में दो दिवसीय वाकपीठ आयोजित होगी।
2. प्रत्येक वाकपीठ में जिला शिक्षा अधिकारी छात्र/छात्रा व प्रारम्भिक शिक्षा की उपस्थिति अनिवार्य है।
3. वाकपीठ की बैठक में निदेशालय, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान के प्रतिनिधि पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित होंगे।
4. सत्रारम्भ की वाकपीठ में वर्ष के शैक्षिक कलेन्डर, योजना एवं कार्यक्रमों की क्रियान्विति के तरीकों पर विचार होगा एवं सत्रांत में मूल्यांकन पर विचार किया जावेगा।

§ IV § एम.एस.सी. करने हेतु अनुमति:-

विभाग में कार्यरत शिक्षकों को अपनी शैक्षिक व प्रशैक्षिक योग्यता में अभिवृद्धि करने का अवसर प्रदान करने की समुचित व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर§ एम.एस.सी.§ की परीक्षा पास करने हेतु राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय/महा विद्यालय में अध्यापक के लिए निम्न विषयों में एक-एक पद आरक्षित है:-

1. भौतिक विज्ञान	2. रसायन विज्ञान
3. प्राणी शास्त्र	4. वनस्पतिशास्त्र

उपरोक्त विषयों में अध्ययन करने हेतु 36 अध्यापकों को कालेज आवंटित कर एम.एस.सी. करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

§ 6 § भामाशाह योजना -

विभाग द्वारा निर्धारित भामाशाह योजना के तहत राज्य के दानदाताओं को प्रेरित कर एक प्राथमिक विद्यालय, 12 उच्च प्राथमिक, 12 मा.वि. विद्यालय, 4 सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण करवाया जाकर 2.18 लाख राशि का योगदान प्राप्त किया गया।

§ 7 § शारीरिक शिक्षा -

प्राथमिक विद्यालय स्तर से लेकर सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक किसी न किसी रूप में शारीरिक शिक्षा सभी स्तरों पर लागू है। माध्यमिक विद्यालयों में तो यह एक अनिवार्य विषय है। विद्यालयों में पी.टी. ड्रिल एवं योगासन आदि के नियमित आयोजन हेतु स्पष्ट निर्देश है। शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुऐ विविध घटकों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:-

§ 1 § योग शिक्षा:- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत "योग शिक्षा" को महत्व दिया गया, तबसे राजस्थान में विभाग स्तर पर "शारीरिक शिक्षकों" को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इसी के अनुरूप इस वर्ष 92-93 से राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित राशि 1.26 लाख प्लान -नोन प्लान- जनजाति क्षेत्र के लिऐ निम्न कार्य सम्पादित कराये गये:-

1. राज्य के 28 जिलों में शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु एक-एक माह के शिविरों के आयोजन हेतु राशि आवंटित की गई ।
2. विद्यालयों में अध्ययरत कक्षा 9 तक के छात्रों को योग शिक्षा का प्रारम्भिक ज्ञान करवाने हेतु 20 दिवसीय शिविर आयोजित कराने हेतु 7 विद्यालयों को राशि आवंटित की गई।
3. इस वर्ष आयोजित योग शिविरों से 1550 शारीरिक शिक्षकों एवं 100 छात्र लाभान्वित हुऐ।

§ 11 § सुदूर क्षेत्रीय विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम:- विगत दो वर्षों की भांति राज्य सरकार द्वारा 6 सामान्य क्षेत्रों के जिलों एवं 2 जनजाति क्षेत्र के लिये शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम हेतु 5 लाख की राशि का प्रावधान रखा गया। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी §छात्र-छात्रा§ को प्रत्येक को 31250/- रु. की राशि आवंटित की गई। उक्त आवंटित राशि से जिले के सुदूर क्षेत्रीय विद्यालयों में अध्ययनरत 100 छात्र एवं 100 छात्राओं को

7 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित स्थानों पर आयोजित करने के निर्देश दिये गये। उक्त कार्यक्रम फरवरी- मार्च 93 में सम्पादित हो चुके है। इससे 700 छात्र एवं 600 छात्राऐं लाभान्वित हुऐ।

§ III§ शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता:- इस वर्ष अष्टम राज्य स्तरीय "शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता" §पुरूष/महिला§ आयोजित कराई गई। उक्त प्रतियोगिता §पुरूष§ में 25 जिलों से 834 खिलाडी अध्यापकों एवं 10 जिलों से 240 अध्यापिकाओं ने भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं हेतु 50 हजार की राशि का आंवटन किया गया।

§ IV § मंत्रालयिक कर्मचारी क्रीडा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता:- विभाग द्वारा आयोजित 20 वीं मंत्रालयिक कर्मचारी क्रीडा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता ब्यावर में आयोजित की गई जिसके लिये 50 हजार की राशि आंवटित की गई । इस प्रतियोगिता में 6 मण्डलों एवं निदेशालय बीकानेर की टीमों के 870 खिलाडी कर्मचारियों ने भाग लिया।

§ V § पर्वतारोहण अभियान:- इस कार्यक्रम हेतु 50 हजार की राशि का राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया गया। वर्ष 92-93 में 7 दिवसीय "रॉक क्लेम्बिंग बेसिक प्रशिक्षण शिविर" राजकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आबूपर्वत सिरोही में आयोजित किया गया जिसमें राज्य के 35 छात्रों एवं 14 छात्राओं ने भाग लिया।

§ VI § शाला स्वास्थ्य परियोजना:- विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी प्रारम्भिक ज्ञानोपार्जन के उद्देश्य से इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर तक "शाला स्वास्थ्य परियोजना" तैयार की गई। जिसके लिए प्रथम चरण में 6 जिलों का चयन किया गया। विभाग द्वारा निदेशक एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर को "मोडल अधिकारी" नियुक्त किया जाकर कार्यक्रम सम्पादित किया गया ।

§ VII § रेड क्रास :- राज्य में वर्ष 1951 से इंण्डियन रेडक्रास सोसायटी, सांगानेरी गेट, जयपुर की स्थापना हुई। उक्त संस्थान के माध्यम से विद्यालयों में इसकी अनेक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा हैं। "झंडी विक्रय योजना" से विभाग द्वारा योगदान दिया जाता है। इस कार्य को स्थाईत्व प्रदान करने हेतु इस वर्ष राज्य की समस्त माध्यमिक विद्यालयों में "रेडक्रास के क्लब स्थापित किये" गये। अबतक 17 जिलों में लगभग 100 क्लब स्थापित हुए है।

§ VIII § एन.सी.सी. कार्य - राष्ट्रीय केडेट कोरप्स विद्यालयों मे विभिन्न विंगों में संचालित है । निदेशक एन.सी.सी. राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार राज्य भर में उ उक्त कार्यक्रम संचालित किये जाते है । कमान अधिकारी-5 राजस्थान इन्डोकोय एन.सी.सी. भीलवाड़ा द्वारा अक्टूबर 92 में केम्प, कमान अधिकारी-2 राजस्थान नेवल विंग अजमेर द्वारा पुष्कर रोड अजमेर में सितम्बर 92 में केम्प आयोजित किये गये । एन.सी.सी के विभिन्न केम्पों में शामिल होने हेतु राज्य से बाहर 3 एन.सी.सी. अंशकालीन अधिकारियों को भेजा गया ।

§ IX § स्काउटिंग कार्य :- प्रान्त में राज्य संगठन आयुक्त, जयपुर द्वारा " स्काउटिंग की विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है । विभाग द्वारा विद्यालयों में कार्यरत स्काउटरों / गाइडरों को विभिन्न शिविरों में शामिल होने हेतु राज्य से बाहर यात्रा अनुज्ञा प्रदान की जाती है । इस वर्ष 55 स्काउटरों एवं गाईडरों को राज्य से बाहर अन्य राज्यों में यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गई ।

§ C § आयोजना एवं प्रशासन

1. योजना एवं लेखा:-

निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा वर्ष 92-93 में नियंत्रित पदों के आधार पर स्वीकृत आय-व्यय का विवरण इस प्रकार है :-

आय -व्यय वर्ष 1992-93 § राशि लाखों में §

मद	बजट आवंटन	अनुपूरक बजट	व्यय
1- आयोजना भिन्न	76265.57	-	81530.60
प्रभृत	0 .25	1.25	0.65
2- आयोजना	8473.82	-	8931. 46
3- केन्द्र प्रवर्तित	6589.44	587.40	2599.22
योग :-	91328.83	587.40	93061.28
प्रभृत	0.25	1.25	0.65

/x 21........

2- पेंशन/स्थिरीकरण

पेंशन/स्थिरीकरण प्रकरणों की माह अक्टूबर 93 के अन्त में स्थिति निम्न प्रकार है :-

कार्य	पूर्व के बकाया	दिसम्बर 92 से अक्टूबर 93 तक प्राप्त प्रकरण	योग	निपटाये 12/92 से 10/93 तक	शेष
1. पेंशन प्रकरण	971	2549	3520	3239	281
2. स्थिरीकरण	8540	-	8540	2943	5597 ×
3. प्रावधायी निधि पत्र	10	536	546	536	10
4. वित्तीय नियम 03 के तहत आहरण वितरण	21	883	904	896	08

×स्थीरीकरण के बकाया प्रकरण वाद के तिथि से विकल्पित होने के कारण शेष रहे ।

कुल 8540 पेशनं प्रकरण मेंसे 2943 प्रकरण निपटाये गये एवं 5597 शेष रहे । स्थिरीकरण के कुल 8540 प्रकरणों मेंसे 2943 प्रकरण निपटाये गये व 5597 शेष रहे । शेष रहे प्रकरण वाद को तिथि के विकल्प होने के कारण रहे ।

546 प्रावधायी निधि पत्र मेंसे 536 निधि पत्रों को स्वीकृती जारी की गई एवं 10 शेष रहे । वित्तीय नियम 03 के तहत आहरण वितरण के 904 प्रकरणों मेंसे 896 प्रकरण निपटाये गये एवं 08 शेष रहे ।

§3§ न्यायिक प्रकरण :-

राज्य के विभिन्न न्यायालयों में वर्ष 92-93 के अन्त तक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित लंबित न्यायिक प्रकरण, पूर्व विचाराधीन, नये दायर हुए तथा निर्णित हुए एवं शेष रहे की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं. न्यायालय	31 मार्च 92 तक विचाराधीन	1 अप्रैल 92 से 31 मार्च 93 तक नये दायर	1 अप्रैल 92 से 31 मार्च 93 तक निर्णित	शेष विचाराधीन 31 मार्च 93
उच्च न्यायालय, जोधपुर	1133	525	157	1501
उच्च न्यायालय जयपुर	1289	473	185	1577
सिविल वाद	2295	528	126	2697
नोटिस 80 सी.पी.सी.	222	481	610	93
अपील अधिकरण	655	63	61	657
अवमानना वाद	107	61	44	124
योग :-	5701	2131	1183	6649

वर्ष 92-93 के प्रारम्भ में विचाराधीन कुल 5701 न्यायिक प्रकरण थे। जो वर्ष के अन्त तक बढ़कर 6649 हो गये। इस वर्ष में नये दावे 2131 दायर हुए एवं 1183 दावे निर्णित किये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि दिनों-दिन न्यायिक प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं, जो एक विचारणीय पहलू है।

§ 4 § राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण कोष :-

राजस्थान में यह योजना 1966 से प्रारम्भ की गयी है। प्रतिष्ठान की निधि राज्य सरकार द्वारा दिये गये चंदों तथा संघ एवं प्रति वर्ष शिक्षक दिवस पर एकत्रित धन राशि से निर्मित हुई है। राजस्थान में शिक्षक दिवस 5 सितम्बर के अवसर पर प्रतिष्ठान के कोष हेतु झण्डियां एवं कार पताकाओं के विक्रय, सांस्कृत कार्यक्रम दान एवं चंदे से धन संग्रह किया जाता है।

योजना के आरम्भ वर्ष 1966 से 1992-93 तक दी गई सहायता एवं छात्रवृत्तियां

	प्रकरण सं.	राशि
1. अध्यापकों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को सहायता	1351	1112685/-
2. अध्यापकों को बीमारी में सहायता	30	26000/-
3. अध्यापकों की विधवाओं की पुत्री विवाह हेतु सहायता	7	8000/-
4. अध्यापकों की विधवों को जिवीकोपार्जन के लिए उपकरण क्रय करने के सहायता	12	21000/-
5. अध्यापकों के विकलांग बच्चों को छात्रवृती	77	12250/-
	1977	1179935/-

वर्ष 92-93 में राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा दी गई सहायता । अध्यापकों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को सहायतार्थ 12 प्रकरणों में राशि 20000/- प्रदान की गई । एवं डा० राधाकृष्णन शिक्षक भवन के निर्माण हेतु राशि 145000/- उपलब्ध कराई गई ।

(5) हितकारी निधि -

हितकारी निधि योजना शिक्षा विभाग राजस्थान में अगस्त 1975 से प्रारम्भ की गई है । इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता और ऋण स्वीकृत किये जाने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया हुआ है । इस योजना का संचालन निदेशक जी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है है । समिति की वर्ष में समय-समय पर बैठकें होती रहती है ।

वर्ष 1992-93 में हितकारी निधि से सहायता एवं ऋण वितरण निम्न प्रकार है:-

	संख्या	राशि
1. मृत्यु पर उनके आश्रितों को सहायता	54	80068/-
2. स्वयं तथा परिवार के सदस्यों को बीमारी पर सहायता	18	25892/-
3. जिला शिक्षा अधिकारियों को तत्काल सहायता दिये जाने हेतु अग्रिम राशि	-	22185 /-
4. पुत्र/पुत्री विवाह पर ऋण	29	195000/-
5. अध्ययन हेतु ऋण	8	15000/-
योग		348145/-

(6) छात्रवृत्तियाँ :-

मेधावी, निर्धन एवं जरूरतमंद छात्र/छात्राऐं अर्थाभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रह पायें इस दृष्टि से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृति योजनायें विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही है ।

1. अध्यापकों के बच्चों को देय राष्ट्रीय छात्रवृती योजना :-

इस योजनान्तर्गत अध्यापकों के बच्चों को छात्रवृती देने हेतु विभिन्न संकाय के कक्षा-10-12 के विद्यार्थियों से कुल 300 प्रार्थनापत्र प्राप्त कर निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भिजवाये गये ।

2. संस्कृत विषय में प्रतिभा रखने वाले छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृती :-

उक्त योजना में 50% राशि राज्य सरकार व 50 % राशि केन्द्र सरकार देय करती है । राशि 12 माह के लिए दी जाती है । सत्र 92-93 में मण्डल अधिकारियों को राशि का आंवटन निम्नवत किया गया :-

	राज्य निधि	केन्द्र निधि
स्वीकृत	72000/-	72000/-
आवंटन	69340/-	69760/-
बचत	2660/-	2240/-

3. अनुसूचित जाति/अनु जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदत्त पूर्व मेट्रिक विशेष छात्रवृती योजना -

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में निदेशक समाज कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा 90 लाख रुपयों की राशि का आंवटन किया गया । जिसका उपयोग निम्नानुसार किया गया :-

राशि		लाभान्वित		
		अनु. जाति	जनजाति	योग
स्वीकृत राशि	9006925/-			
आंवटन	8045500/-	477	380	857

4. शिक्षा विभाग के बजट मद से सत्र 92-93 में निम्नानुसार समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र/छात्रा) एवं मण्डल अधिकारियों (पुरुष/महिला) को योजनवार छात्रवृति राशि आवंटित की गई :-

क्र.सं.	छात्रवृति योजना का नाम	लाभान्वित छात्र संख्या	देय राशि रूपयों में
1.	ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृति	3233	2127824/-
2.	अत्यन्त निर्धनता छात्रवृति	6000	600000/-
3.	मृत राज्य कर्म. के बच्चों को देय छात्रवृति	1465	151260/-
4.	मृत राज्य कर्म. के बच्चों को एस.टी.सी. हेतु देय छात्रवृति	1298	357800/-
5.	स्वतन्त्रता सेनानी के बच्चों को छात्रवृति	22	1715/-
6.	भारत पाक युद्ध	5	3980/-
7.	प्रतिभाशाली अनु. जाति/जनजाति की कक्षा 10 की ग्रामीण बालिकाओं के शैक्षिक अभिवृद्धि छात्रवृति	237	474000/-

(7) शिक्षक पुरस्कार :-

शिक्षक पुरस्कार वर्ष 1992 में 47 शिक्षकों को उनकी विशिष्ठ सेवाओं के लिए 5 सितम्बर 1992 को रविन्द्र मंच जयपुर में राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा राष्ट्रीय स्तर पर 12 शिक्षकों को (माध्यमिक स्तर पर 5 एवं प्राथमिक स्तर पर 7) चयन किया गया ।

(8) शैक्षिक एवं प्रशासनिक सम्मेलन :-

राजस्थान में शैक्षिक एवं प्रशासनिक सम्मेलनों की एक सुदीर्घ परम्परा रही है । इसी परम्परा की कड़ी में वर्ष 92-93 में राज्य के शिक्षा अधिकारियों का राज्य स्तरीय शैक्षिक एवं प्रशासनिक सम्मेलन दिनांक 19-20 जून 1992 को जयपुर में आयोजित किया गया जिसमें लगभग 200 संभागियों ने भाग लिया । सम्मेलन में शिक्षा के विविध पक्षों पर खुलकर चर्चा हुई तथा कुछ समयबद्ध महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये ।

(9) पुस्तकालय (समाज शिक्षा) -

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 89-90 में पुस्तकालय निदेशक (विशेषाधिकारी शिक्षा जयपुर) की स्थापना की गई । वर्ष 92-93 में सार्वजनिक पुस्तकालयों की संख्या 42 है । इसमें केन्द्रीय पुस्तकालय - 1, मण्डल पुस्तकालय 5, जिला पुस्तकालय 27 एवं तहसील पुस्तकालय 9 है तथा राज्य में कुल वाचनालय 16 है । राज्य में कुल 86 निजी क्षेत्र में पुस्तकालय कार्यरत है जिसमें 48 पुस्तकालय स्थाई है ।

वर्ष 92-93 में मीरा सार्वजनिक वाचनालय एवं पुस्तकालय मेड़ता सिटी को स्थाई मान्यता प्रदान की गई । राजस्थान महिला परिषद उदयपुर द्वारा संचालित भवन के विस्तार हेतु राजा राममोहनराय पुस्तकालय संस्थान कलकत्ता की योजना अन्तर्गत 50 हजार रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गयी । वित्तीय वर्ष 92-93 में केन्द्रीय क्रय योजना अन्तर्गत 2.75 लाख राशि की पुस्तकें क्रय की गई । राजा राममोहन राय पुस्तकालय संस्थान योजना के तहत 6 लाख रूपयें की पुस्तकें क्रय की गई । शिक्षा मंत्री स्व-विवेक कोष से रूपये 51000/- की पुस्तकें क्रय की गई । वर्ष 93-94 हेतु रूपये 2.60 लाख की पत्रिकाओं का अनुमोदन किया गया ।

(10) शिक्षक प्रशिक्षण :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के गुणात्मक सुधार पर विशेष बल दिया गया है । शिक्षक शिक्षा के विकास के लिए विशेष प्रयास किया गया । राज्य में वर्तमान में राजकीय एवं गैर राजकीय क्षेत्र में 42 सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाऐं कार्यरत है जिसके माध्यम से 2445 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है । केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत स्थापित 27 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है । भाषाई अल्प संख्यकों की शिक्षा के लिए अल्प भाषाई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में संचालित है । वर्ष 92-93 में 7 महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाऐं कार्यरत है । समस्त संस्थाओं में अध्ययनरत शिक्षकों की कुल संख्या 5790 है जिसमें से 2976 पुरूष एवं 2814 महिलाऐं है ।

माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा हेतु राजकीय एवं गैर राजकीय क्षेत्र में कुल 37 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित है । जिनमें प्रति वर्ष लगभग 5700 बी.एड प्रशिक्षणार्थियों को पी.टी.ई.टी. के माध्यम से प्रवेश दिया जाकर प्रशिक्षण दिया जाता है ।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत दो राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय यथा अजमेर व बीकानेर को 88-89 में तथा गैर राजकीय क्षेत्रों के विद्या भवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर, गांधी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सरदारशहर को वर्ष 92-93 में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान में क्रमोन्नत किया गया । इसी प्रकार गैर राजकीय क्षेत्र के तीन बी.एड कॉलेज यथा महेश टी.टी. कॉलेज जोधपुर 1989-90 लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डबोक एवं हरि भाऊ उपाध्याय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हटुण्डी को वर्ष 92-93 में सी.टी.ई. में क्रमोन्नत किया गया । इन संस्थाओं में सेवा पूर्व प्रशिक्षण के साथ-साथ सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इन समस्त महाविद्यालयों में 30 सितम्बर 92 को कुल 6484 प्रशिक्षणार्थी थी जिनमें से 3838 पुरूष एवं 2646 महिलाऐ रही ।

राज्य में निजी क्षेत्र में आर्य कन्या विद्यालय समिति अलवर द्वारा संचालित महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय अलवर में खोला गया इसमें 60 सीटे आवंटित की गई । वर्ष 92-93 में जनजाति छात्रों के लिए बी.एड.में 2 विशिष्ट इकाईयां चलाने की अनुमति प्रदान की गई जिसमें प्रत्येक में 60 सीटें आंवटित है।

राज्य में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में वर्ष 92-93 हेतु अनुसूचित जाति के लिए विशेष बैच हेतु 652 सीटें तथा अनुसूचित जनजाति §माडा§ हेतु 315 सीटें विशेष रूप से आंवटित की गई।

राजस्थान लोक सेवा आयोग से नव चयनित माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं का सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम 8 सप्ताह का राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर तथा शाह गोवर्धनलाल काबरा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर§सी.टी.ई.§ में आयोजित किये गये। जिसमें 221 संभागीयों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

§ 11 § शारीरिक शिक्षक शिक्षा:-

शारीरिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु राजकीय शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जोधपुर तथा गैर सरकारी क्षेत्र में 4 शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय कार्यरत है। राजकीय शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जोधपुर में डी.पी.एड. एवं सी.पी.एड. दोनों ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जबकि अन्य 4 शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में सी.पी.एड. पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान की जाती है। वर्ष 92-92 में डी.पी.एड.

पाठ्यक्रम में कुल 91 प्रशिक्षणार्थी ने भाग लिया जिनमें 79 पुरूष एवं 12 महिला है। सी. पी. एड. पाठ्यक्रम में कुल 505 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया जिनमें 422 पुरूष एवं 83 महिला है। उक्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाऐं पंजियक शिक्षा विभागीय परीक्षाऐं बीकानेर द्वारा आयोजित कराई जाती है।

§12§ विभागीय परीक्षाऐं :-

निदेशालय शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्वतन्त्र रूप से पंजियक शिक्षा विभागीय परीक्षाऐं कार्य कर रहा है। वर्तमान निम्नलिखित परीक्षाऐं नियमित रूप से आयोजित की जा रही है :- 1. शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम वर्ष परीक्षा 2. शिक्षक प्रशिक्षण द्वितीय वर्ष परीक्षा 3. शिक्षक प्रशिक्षण पूर्व प्राथमिक परीक्षा 4. शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उद्योग विशेषीकरण परीक्षा 5. शारीरिक शिक्षा प्रमाण पत्र परीक्षा 6. शारीरिक शिक्षा डिप्लोमापरीक्षा 7. संगीत प्रभाकर प्रथम वर्ष परीक्षा 8. संगीत प्रभाकर द्वितीय वर्ष परीक्षा 9. संगीत भूषण परीक्षा। इन शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश निर्धारित सीटों के आधार पर विभागीय चयन समिति द्वारा मेरिट लिस्ट बनाकर किया जाता है। परीक्षाओं का पाठ्यक्रम द्विवर्षीय है। इसमें संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अध्यापन की दृष्टि से क्रियात्मक पक्ष को अधिक वलशाली बनाया गया है।

§13§ विभागीय प्रकाशन :-

प्रकाशन के अन्तर्गत राजस्थान राज्य शैक्षिक पत्रकारिता को उच्च स्तरीय प्रकाशनों के माध्यम से बढ़ावा दिया है। शिविरा पत्रिका के प्रकाशन का यह 33वां वर्ष है जो मई जून 1993 के अन्त के साथ समाप्त होगा। वित्तीय वर्ष 92-93 में शिविरा के लिए अखिल भारतीय स्तर पर निविदाऐं आमंत्रित की गई। अखिल भारतीय निविदा आमंत्रण के फलस्वरूप जो नई मुद्रण व्यवस्था उभरी है उसके अनुसार आधुनिक तकनीक एवं मुद्रण कौशल में सक्षम मैसर्स कोटावाला आफसेट, जयपुर को यह कार्य आवंटित किया गया है। इस मुद्रणालय के पास एक साथ 16-16 पृष्ठ मुद्रित करने की दो बड़ी मशीने है तथा रंग संयोजन में भी इसे महारत हासिल है। शिविरा पत्रिका प्रतिमाह प्रकाशित की जाती है। शिविरा का अप्रैल 93 का अंक मार्च 93 में तैयार होकर डिस्पेच कर दिया गया है।

.....29...

शिक्षक दिवसीय प्रकाशन :- शिक्षक दिवस पर विभाग के शिक्षक साहित्यकारों की रचनाओं को लेकर प्रति वर्ष विविध विधाओं में पुस्तकें प्रकाशित की जाती है । सन् 1992 के शिक्षक दिवस 5 सितम्बर 1992 को निम्न छ: पुस्तकें प्रकाशित की गई :-

1. रातों जगी कथाऐं
2. प्रतिभा के पंख
3. शिक्षा समस्याऐं तथा सम्भावनाऐं
4. आखिर बेल
5. रेत पंछी
6. बादल और पतंग

प्रतियोगी दरें विभाग के पक्ष में आने के कारण इस वर्ष 4 पुस्तकें {प्रत्येक 252 पृष्ठ} एक पुस्तक {200 पृष्ठ} तथा एक बाल साहित्य की पुस्तक प्रकाशित की गई । इतने अधिक पृष्ठ संख्या की पुस्तकें पहले कभी प्रकाशित नहीं की गई । इन छ: पुस्तकों को मिलाकर अब तक 129 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है । 1992 के प्रकाशनों से इन विधाओं में शिक्षकों के अलावा शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों की विविध रचनाओं का सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया ।

{14} भाषायी अल्पसंख्यक

भाषायी अल्पसंख्यक अन्तर्गत विद्यालयों में पंजाबी, सिंधी, उर्दू तृतीय भाषा विषय पढाये जाते है । वर्ष 92-93 में 19 माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में तृतीय भाषा विषय पढाने की स्वीकृति जारी की गई । तथा इसी वर्ष जैसलमेर जिले को सात उर्दू अध्यापकों के पद आवंटित किये गये । राज्य में एक राजकीय अल्पभाषा शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय अजमेर में कार्यरत है जिसके अन्तर्गत तृतीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है ।

{15} अनुदान प्राप्त संस्थान :-

वर्ष 92-93 में राज्य में 1150 अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाऐं है । अनुदान प्रतिशतवार संस्थाओं की संख्या इस प्रकार है :- 25 % - तीन संस्थाऐं 50 % -393 60 % -259, 70 % - 242, 80 % - 170, 90 % -83 है ।

1150 अनुदानित संस्थाओं का स्तरवार विवरण इस प्रकार है :- 112 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 109 माध्यमिक विद्यालय, 33 केन्द्रीय कार्यालय, 36 छात्रावास , 165 उच्च प्राथमिक विद्यालय {छात्र} , 91 उच्च प्राथमिक विद्यालय {छात्रा} 375 प्राथमिक विद्यालय {छात्र} 130 प्राथमिक विद्यालय {छात्रा} 63 विशिष्ठ विद्यालय, 41 पुस्तकालय 4 शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालय एवं /लोक कला मण्डल ।

(16) विद्यालय पंचांग:-

राज्य में कार्यरत शिक्षण संस्थाओं हेतु निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, विभागीय कलेण्डर प्रकाशित कर प्रतिवर्ष आगामी सत्र के लिए उपलब्ध करवा देता है जिसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि दूर दराज की शालाओं एवं शहरी शालाओं की शालायी प्रवृतियों में एकरूपता बनी रही। प्रवेश-परीक्षाऐं, टोनमिन्ट, सेमीनार, वर्कशॉप तथा अन्य क्रियाकलाप नियमबद्ध चल सके। इसमें अध्यापकों प्रशासकों के लिए मुख्य बिन्दु दिये होते है ताकि विभिन्न प्रवृतियां सुचारू रूप से चलाई जा सके। कलेन्डर का निमार्ण राज्य स्तरीय कमेटियों के परामर्श पर किया जाता है। " शिविरा" में प्रति वर्ष प्रकाशित होने वाले विद्यालय पंचांग वर्ष 92-93 का प्रकाशन किया गया।

(9) शिक्षक संघों की भूमिका, व उनका रचनात्मक सहयोग

शिक्षकों की भूमिका तथा उनके द्वारा अपेक्षित कार्य शिक्षक संघों के संविधान में वर्णित है। उनका वास्तविक कार्य शैक्षिक उन्नयन हैं। वे अपने अधिकारों के लिए तो संघर्ष करते है किन्तु कर्त्तव्य के प्रति विमुख रह रहे हैं। शिक्षक संघों में अदम्य उत्साह, एकजुटता एवं सृजन शक्ति है। ये सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा बन सकतें हैं। शैक्षिक योजनाओं की क्रियान्विती में विशेष योगदान दे सकतें है। वे शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन के लिए प्रभावी भूमिका निभा सकतें हैं तथा अन्ततः देश का चरित्र निमार्ण करने, भावी पीढी को श्रेष्ठ नागरिक बनाने में उनकी भूमिका सराहनीय हो सकती है।

(10) विशिष्ठ शैक्षिक अभिकरण

शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए निम्न विशिष्ट अभिकरण भी कार्यरत हैं :-

1- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
2- शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, अजमेर।
3- प्रौढ शिक्षा निदेशालय, जयपुर। (अनौपचारिक शिक्षा)
4- राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर 5- शिक्षा कर्मी बोर्ड, जयपुर
6- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर 7- परियोजना निदेशक लोक जुम्बिश, जयपुर
8- राजकीय सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
9- संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर

---

(11) शिक्षा की प्रगति से सम्बन्धित तालिकाऐं

सारणी - 1

आयु वर्गानुसार बालक/बालिकाओं की अनुमानित संख्या व नामांकन (30. 9. 92)

आयु वर्ग	अनुमानित जनसंख्या (92-93) 00 में			नामांकन '00 में		
	बालक	बालिका	योग	छात्र	छात्रा	योग
06-11	30514	28815	59329	34208	17660	51869
11-14	16364	15391	31755	11164	3611	14776
14-17	20424	19138	39562	7237	2019	9256
योग	67302	63344	130646	52610	23291	75902

सारणी - 2

राज्य में शिक्षण संस्थाओं की स्थिति (30. 9. 92)

शाला का प्रकार	छात्र	छात्रा	योग
पूर्व प्राथमिक	00014	0016	00030
प्राथमिक	29939	1928	31867
उच्च प्राथमिक	8578	1227	9805
माध्यमिक	2725	446	3171
सीनियर माध्यमिक	889	200	1089
योग:-	42145	3817	45962

सारणी - 3

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं की स्थिति (30. 9. 92)

शाला का प्रकार	ग्रामीण			शहरी		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
पूर्व प्राथमिक	0003	0002	0005	11	0014	0025
प्राथमिक	26504	1267	27771	3435	661	4096
उच्च प्राथमिक	6636	839	7475	1942	383	2330
माध्यमिक	2327	233	2560	398	213	611
सीनियर माध्यमिक	447	6	453	442	195	636
योग	35917	2347	38264	6228	1470	7698

... ३२ ..

सारणी - 4

स्तर अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति नामांकन (30.9.92)

स्तर/आयु वर्ग	अनुसूचित जाति नामांकन 00' में			जनजाति नामांकन 00' में		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
कक्षा पूर्व प्राथमिक से कक्षा 5 तक (6 से 11 वर्ष)	5800	2497	8297	3984	1547	5531
कक्षा 6 से 8 तक (11-14 वर्ष)	1639	302	1941	1001	164	1165
कक्षा 9 से 12 तक (14-17 वर्ष)	925	95	1020	614	61	675
महायोग	8364	2894	11258	5599	1772	7371

सारणी - 5

राज्य में विद्यालयवार अध्यापकों की स्थिति (30.9.92)

विद्यालय का प्रकार	कुल अध्यापक संख्या		
	पुरूष	महिला	योग
पूर्व प्राथमिक	00018	00197	00215
प्राथमिक	62902	23045	85947
उच्च प्राथमिक	57712	20853	78565
माध्यमिक	30465	9403	39868
सीनियर माध्यमिक	24281	9383	33664
योग :-	175378	62881	238259

सारणी - 6

विद्यालयवार अनुसूचितजाति/जनजाति अध्यापक-स्थिति (30.9.92)

शाला का प्रकार	अनुसूचित जाति			जन जाति		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
पूर्व प्राथमिक	0001	0004	0005	-	-	-
प्राथमिक	7695	519	8214	3991	236	4227
उच्च प्राथमिक	6436	374	6810	2631	117	2748
माध्यमिक	2696	118	2814	1162	49	1211
सीनियर माध्यमिक	1147	54	1201	441	17	458
योग	17975	1069	19044	8225	419	8644

गौड़/

NIEPA DC
D08200

LIBRARY & ...
National Institute of ...
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,